

उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
09/2020
दिनांक :- 06.01.2020

अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.

09/2020

दिनांक :- 06.01.2020

अनवान

श्री भैरु पिता हजारी मीणा नि. बृज की डुंगरी तह0 जहाजपुर

प्रार्थी.....

बनाम

1. श्री लादु पिता भागुता मीणा नि. बृज की डुंगरी तह0 जहाजपुर
2. श्री रामलाल पिता मगना मीणा नि. बृज की डुंगरी तह0 जहाजपुर
3. श्री रामराज पिता जीवण मीणा नि. बृज की डुंगरी तह0 जहाजपुर
4. श्री महावीर पिता जीवण मीणा नि. बृज की डुंगरी तह0 जहाजपुर
5. श्री भोमा पिता सालमा मीणा नि. बृज की डुंगरी तह0 जहाजपुर
6. श्री देवी पिता सालमा मीणा नि. बृज की डुंगरी तह0 जहाजपुर
7. श्री राधाकिशन पिता सालमा मीणा नि. बृज की डुंगरी तह0 जहाजपुर
8. श्रीमति जमना पत्नि कल्याण मीणा नि. बृज की डुंगरी तह0 जहाजपुर
9. तहसीलदार जहाजपुर

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान ले. रे. एक्ट ::

:: आदेश ::

दिनांक 03.03.2020

प्रार्थी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम शक्करगढ प0 ह0 शक्करगढ तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 47 रकबा 02.02 बीघा भुमि स्थित है। जिसमे स्थायी सीमा की जानकारी नही होने से सीमाओ को लेकर विवाद है। जिस स्थायी सीमा चिन्ह लगाने की मांग की।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की तार्ईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 व विवाद बाबत शपथ पत्र पेश किया गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम शक्करगढ प0 ह0 शक्करगढ तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 47 रकबा 02.02 बीघा भुमि की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भु अमिलेख निरीक्षक शक्करगढ का कमीशनर नियुक्ति किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 03.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)

उम्मेद सिंह अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)
जहाजपुर (भीलवाडा)